न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 764/2022
अनवान : –

1. जगदीप इन्द्र सिह पुत्र शाहइन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी स्ट्रीट नम्बर 14 डोगर बस्ती फरीदकोट–पंजाब

– वादी

बनाम्

1. गुरदेव कौर पत्नी शाहइन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी स्ट्रीट नम्बर 14 डोगर बस्ती फरीदकोट–पंजाब
2. किरणदीप कौर पुत्री शाहइन्द्रसिंह पत्नी हरेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी मकान स0 92 सनसाईन ऐवन्यु लढेवाली जलन्धर द्वितीय पंजाब।
3. प्रदीप कौर पुत्री शाहन्द्रसिंह पत्नी सुखविन्द्र जाति जटसिख जाति जटसिख निवासी कोठा इलियास लखमनपुरा फाजिल्का पंजाब।
4. राजगोविन्दर सिंह पुत्र शेरबहादुरसिंह जाति जटसिख निवासी गांव भागु श्रीमुक्तसर साहिब– पंजाब।
5. यादविन्दर सिंह पुत्र राजगोविन्दर सिंह जटसिख निवासी गांव भागु श्रीमुक्तसर साहिब– पंजाब।
6. कुलविद्र कौर पुत्री राजगोविन्दर सिंह जटसिख निवासी गांव भागु श्रीमुक्तसर साहिब–पंजाब।
7. गुरतेजकौर पुत्री शेरबहादुर सिंह पत्नी हरिपालसिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी श्रीमुक्तसर साहिब पंजाब।
8. सुखविन्द्र कौर पुत्री शेरबहादुर सिंह पत्नी गरमेलसिंह जाति जटसिख निवासी सरेन मण्डी आमीनगंज फाजिल्का पंजाब।
9. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री संजय कुमार जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 14/12/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 15 जेएसएन – बी तहसील नोहर के खाता संख्या 71/68 की कुल 7.7600 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि सुरजीत कौर पत्नी शेर बहादुर सिंह के नाम दर्ज है तथा रोही मौजा चक 24 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 14/15 की कुल 9.1080 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि राजगोविन्द सिंह पुत्र शेरबहादुरसिंह व 1/6 हिस्सा भूमि शाहइन्द्रसिंह पुत्र शेरबहादुर सिह के नाम दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:38:43 IST
Reason: SelfAttested

सुरजीत कौर पत्नी शेर बहादुर सिंह जो [illegible] की दादी का देहान्त हो चुका है तथा शाहइन्द्रसिंह एवं राजगोबिन्दर सिंह का भी देहान्त हो चुका है। इनके [illegible] के बाद इनके

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

रोही मौजा चक 15 जेएसएन – बी तहसील नोहर के खाता संख्या 71/68 की कुल 7.7600 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि सुरजीत कौर पत्नी शेर बहादुर सिंह के नाम दर्ज है उक्त भूमि में से प्रतिवादीया स0 1 जो की वादी की माता है एवं प्रतिवादीया स0 2 व 3 वादी की बहिने है एवं प्रतिवादी स0 7 व 8 वादी की बुआ है ने अपना समस्त हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 5 के पक्ष में परित्याग कर दिया है।

इसी प्रकार रोही मौजा चक 24 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 14/15 की ुल 9.1080 हैक्ट भूमि में से वादी के पिता शाहइन्द्र सिंह व प्रतिवादी स0 5 के पिता प्रतिवादी स0 4 के नाम दर्ज 1/6, 1/6 हिस्सा भूमि को अपनी कमाई से खरीद कर उनके नाम दर्ज करवा दी थी उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि भूमि है एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष मे त्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी स0 4 जो की प्रतिवादी स0 5 के पिता है एवं प्रतिवादीया 6 जो की प्रतिवादी स0 5 की बहिन है ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी स0 5 के पक्ष में त्याग कर दिया है प्रतिवादी स0 7 व 8 जो की वादी एवं प्रतिवादी स0 5 की भुआ है ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 5 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। इस प्रकार रोही मौजा चक 24 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 14/15 की कुल 9.1080 हैक्ट भूमि में वादी के पिता का नाम कलमजन कर उनके नाम दर्ज 1/6 हिस्सा भूमि में वादी के नाम दर्ज की जावे एवं प्रतिवादी स0 4 के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा भूमि को प्रतिवादी स0 5 के नाम दर्ज की जावे।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 8 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा 15 जेएसएन बी खाता संख्या 71 सम्वत 2075–78 प्रदर्श–1, रोही मौजा 24 एनटीआर खाता संख्या 15 सम्वत 2074–77 प्रदर्श–2, मृत्यु प्रमाण पत्र बहक सुरजीत कौर प्रदर्श–3, मृत्यु प्रमाण पत्र बहक शेरबहादुर प्रदर्श–4, सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श–5, सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श–6, मृत्यु प्रमाण पत्र शाहइन्द्र सिंह प्रदर्श–7 आदि प्रदर्शित करवायें।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:38:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षसुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है। रोही मौजा चक 15 जेएसएन – बी तहसील नोहर के खाता संख्या 71/68 की कुल 7.7600 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि सुरजीत कौर पत्नी शेर बहादुर सिंह के नाम दर्ज है उक्त भूमि में से प्रतिवादीया स0 1 जो की वादी की माता है एवं प्रतिवादीया स0 2 व 3 वादी की बहिने है एवं प्रतिवादी स0 7 व 8 वादी की बुआ है ने अपना समस्त हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 5 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। इसी प्रकार रोही मौजा चक 24 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 14/15 की ुल 9.1080 हैक्ट भूमि में से वादी के पिता शाहइन्द्र सिंह व प्रतिवादी स0 5 के पिता प्रतिवादी स0 4 के नाम दर्ज 1/6, 1/6 हिस्सा भूमि को अपनी कमाई से खरीद कर उनके नाम दर्ज करवा दी थी उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि भूमि है एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष मे त्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी स0 4 जो की प्रतिवादी स0 5 के पिता है एवं प्रतिवादीया 6 जो की प्रतिवादी स0 5 की बहिन है ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी स0 5 के पक्ष में त्याग कर दिया है प्रतिवादी स0 7 व 8 जो की वादी एवं प्रतिवादी स0 5 की भुआ है ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 5 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। इस प्रकार रोही मौजा चक 24 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 14/15 की कुल 9.1080 हैक्ट भूमि में वादी के पिता का नाम कलमजन कर उनके नाम दर्ज 1/6 हिस्सा भूमि में वादी के नाम दर्ज की जावे एवं प्रतिवादी स0 4 के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा भूमि को प्रतिवादी स0 5 के नाम दर्ज की जावे। वादी के वाद के संबंध में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 द्वारा जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है अतः वादी का वाद डिक्री फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 15 जेएसएन – बी तहसील नोहर के खाता संख्या 71/68 की कुल 7.7600 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि सुरजीत कौर पत्नी शेर बहादुर सिंह के नाम दर्ज है तथा रोही मौजा चक 24 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 14/15 की कुल 9.1080 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि राजगोविन्द सिंह पुत्र शेरबहादुरसिंह व 1/6 हिस्सा भूमि शाहइन्द्रसिंह पुत्र शेरबहादुर सिह के नाम दर्ज है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी का कथन है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 त[illegible] ना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 5 के पक्ष में त्याग कर शु[illegible] द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वाद[illegible]ताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:38:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 जेएसएन – बी तहसील नोहर के खाता संख्या 71/68 की कुल 7.7600 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि सुरजीत कौर पत्नी शेर बहादुर सिंह के नाम दर्ज है में सुरजीत कौर पत्नी शेर बहादुर सिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा चक 24 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 14/15 की कुल 9.1080 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 4 के नाम दर्ज है में प्रतिवादी स0 4 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी स0 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी खाता की 1/6 हिस्सा भूमि शाहइन्द्रसिंह पुत्र शेरबहादुर सिह के नाम दर्ज है, में शाहइन्द्रसिंह पुत्र शेरबहादुर का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 14/12/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:38:43 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 764 / 2022

अनवान : –

1. जगदीप इन्द्र सिह पुत्र शाहइन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी स्ट्रीट नम्बर 14 डोगर बस्ती फरीदकोट–पंजाब

– वादी

बनाम्

1. गुरदेव कौर पत्नी शाहइन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी स्ट्रीट नम्बर 14 डोगर बस्ती फरीदकोट–पंजाब
2. किरणदीप कौर पुत्री शाहइन्द्रसिंह पत्नी हरेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी मकान स0 92 सनसाईन ऐवन्यु लढेवाली जलन्धर द्वितीय पंजाब।
3. प्रदीप कौर पुत्री शाहन्द्रसिंह पत्नी सुखविन्द्र जाति जटसिख जाति जटसिख निवासी कोठा इलियास लखमनपुरा फाजिल्का पंजाब।
4. राजगोविन्दर सिंह पुत्र शेरबहादुरसिंह जाति जटसिख निवासी गांव भागु श्रीमुक्तसर साहिब– पंजाब।
5. यादविन्दर सिंह पुत्र राजगोविन्दर सिंह जटसिख निवासी गांव भागु श्रीमुक्तसर साहिब– पंजाब।
6. कुलविद्र कौर पुत्री राजगोविन्दर सिंह जटसिख निवासी गांव भागु श्रीमुक्तसर साहिब–पंजाब।
7. गुरतेजकौर पुत्री शेरबहादुर सिंह पत्नी हरिपालसिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी श्रीमुक्तसर साहिब पंजाब।
8. सुखविन्द्र कौर पुत्री शेरबहादुर सिंह पत्नी गरमेलसिंह जाति जटसिख निवासी सरेन मण्डी आमीनगंज फाजिल्का पंजाब।
9. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 764 सन 2022 निर्णय दिनांक 14/12/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 जेएसएन – बी तहसील नोहर के खाता संख्या 71 / 68 की कुल 7.7600 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि सुरजीत कौर पत्नी शेर बहादुर सिंह के नाम दर्ज है में सुरजीत कौर पत्नी शेर बहादुर सिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा चक 24 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 14 / 15 की कुल 9.1080 हैक्ट भूमि में से 1 / 6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 4 के नाम दर्ज है में प्रतिवादी स0 4 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी स0 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी खाता की 1 / 6 हिस्सा भूमि शाहइन्द्रसिंह पुत्र शेरबहादुर सिह के नाम दर्ज है, में शाहइन्द्रसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:38:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पुत्र शेरबहादुर का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:38:43 IST
Reason: SelfAttested